<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 86 / 11</u> <u>संस्थापन दिनांक:-04 / 04 / 11</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000312011</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

.....अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. सोनू पिता गुरूचरण सिंह ज्ञानी, उम्र 20 वर्ष
- 2. सेकी पिता कवलजीत सिंह कौर, उम्र 19 वर्ष
- 3. श्रीमती सुरेंदर कौर पति गुरूचरण सिंह ज्ञानी, उम्र 52 वर्ष
- 4. परिमन्दर कौर पित बलबिन्दर सिंह उम्र 47 वर्ष सभी निवासी वार्ड क. 18 बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 01.09.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 324/34, 323/34 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16. 01.2011 को समय करीब 02:30 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत गुरूद्वारा बोड़खी के गेट के पास लोक स्थान या उसके समीप सूचनाकर्ता बलजीत पाल को अश्लील शब्द मां बहन की गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया एवं सूचनाकर्ता बलजीत सिंह की उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में कृपाण जो कि धारदार शस्त्र है, से बलजीतिसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सूचनाकर्ता बलजीतिसिंह की स्वेच्छया उपहित कारित की तथा सूचनाकर्ता बलजीतिसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी बलजीतिसंह पाल गुरूद्वारा बोड़खी आमला का सदस्य है। दिनांक 16.01.2011 को वह गुरूद्वारे के बाहर खड़ा था। तभी अभियुक्तगण गुरूद्वारे के बाहर आये और सुरेंद्रर कौर ने कहा कि गुरूद्वारे की कमेटी बड़ी कमीनी है और अभियुक्त सोनू मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगा। तब कमेटी के सदस्यों ने उन्हें समझाया परंतु सुरेंद्रर कौर बोली की हम गुरूद्वारे के मालिक हैं जो हमारे खिलाफ जाएगा उसे तलवार से काट देंगे और कृपाण से सुरेंद्रर कौर ने उसकी बांयी आंख पर मारा। अभियुक्त सोनू ने पत्थर उठाकर चरणजीत को मारा। जब कमरजीत कौर उसे बचाने दौड़ी तो अभियुक्त

परविंदर कौन ने लकड़ी से उसे मारने दौड़ी। अभियुक्तगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 08/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण के न मिलने पर फरारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी बलजीतसिंह को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी बलजीतसिंह को लोहे की कृपाण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 7. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 8. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 9. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। <u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार</u> ।। विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 08 का निराकरण

- वलजीत सिंह (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने गुरूद्वारे की कमेटी को कुत्ती कमीनी की गंदी गंदी गालियां दी थी। दीपू छतवानी (अ.सा.—3) ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त सोनू एवं परिमंदर ने गालियां दी थी। उमेश बकसानी (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने कमेटी वालों को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे।
- 6 साक्षी बलजीत सिंह (अ.सा.—1) दीपू छतवानी (अ.सा.—3) एवं उमेश बकसानी (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी—गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
- 7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी बलजीत सिंह (अ. सा.—1), कमलजीत कौर (अ.सा.—2), दीपू छतवानी एवं उमेश बकसानी (अ.सा.—4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त सेकी ने कहा था कि सालो को जान से मार दो। यद्यपि साक्षी बलजीत सिंह (अ.सा.—1), कमलजीत कौर (अ.सा.—2), दीपू छतवानी एवं उमेश बकसानी (अ.सा.—4) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त सेकी ने घटना के समय जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो।
- 8 जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का कियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभित्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल.जे. 653 अवलोकनीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05, 06 एवं 07 का निराकरण

- 9 बलजीतसिंह (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त सुरेंदर कौन से उसे कटार से बांयी आंख पर मार दिया जिससे उसे चोट आयी थी तथा अभियुक्त सोनू ने पत्थर से मारा। जब उसकी पत्नी कमलजीत बीच बचाव करने आयी तब अभियुक्त परमिंदर ने उसे लकड़ी से मारा। अभियुक्त सेकी ने अभियुक्त परमजीत को लकड़ी लाकर दी थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था। कमलजीत कौर (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे किसी ने बताया कि झगड़ा हो रहा है। तब वह मौके पर गयी उसने देखा कि अभियुक्त सुरेंदर के पास कृपाण थी जिससे उसने उसके पित बलजीत की आंख पर मारा तथा अभियुक्त सोनू ने एक पत्थर उठाकर मारा एवं अभियुक्त सेकी ने डंडा लाकर परमिंदर के हाथ में दिया और अभियुक्त परमिंदर उसे डंडा मारने के लिए आगे हुई। दीपू छतवानी (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि अभियुक्त सुरेंदर कौर ने बलजीत सिंह उल्टी आंख में कृपाण से मार दिया था जिससे खून निकला था तथा अभियुक्त सोनू ने पत्थर फेंका था। साक्षी उमेश बक्सानी (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त सुरेंदर कौर ने बलजीतिसिंह की बांयी आंख पर कटार से मार दिया था जिससे उसे चोट आयी थी।
- 10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—5) ने दिनांक 16.01.2011 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत बलजीत सिंह पाल का चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत की बांयी आंख के नीचे 1 गुणा 1 गुणा 0.5 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं धारदार हथियार से पहुंचाई जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री—3 को प्रमाणित किया है।
- 11 सरजेराव भोंसले (अ.सा.—7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 16.01.2011 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी बलजीत पाल द्वारा थाने आकर रिपोर्ट लेख कराये जाने पर उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 08/11 में (प्रदर्श पी—1) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था तथा दिनांक 17.01.2011 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- वचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में समस्त अभियोजन साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। स्वयं फरियादी बलजीत अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साथ ही चक्षुदर्शी साक्षियों ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साथ ही अभियुक्त सुरेंदर के पित ज्ञानी का विवाद गुरू प्रबंधन कमेटी के साथ पैसों एवं अन्य बातों को लेकर चला आ रहा था इसिलए रंजिश वश अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

- बचाव अधिवक्ता के इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में कि उभयपक्ष के मध्य में रंजिश है। इस संबंध में समस्त अभियोजन साक्षीगण ने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्त सुरेंदर के पित ज्ञानीजी एवं गुरूद्वारा कमेटी प्रबंधन के मध्य ज्ञानीजी के ईलाज के लिए पैसों को लेकर एवं अन्य धार्मिक कार्यों को लेकर विवाद चला आ रहा था परंतु रंजिश के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commussion of offences as also for false implication" अर्थात रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है। अतः बचाव अधिवक्ता को उक्त तर्क से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- वचाव अधिवक्ता के अन्य तर्क के परिप्रेक्ष्य में दीपू छतवानी (अ.सा.—3) जो कि अभियोजन कथा अनुसार चक्षुदर्शी साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त सुरेंदर कौर के फरियादी बलजीत को कृपाण से मारना बताया है तथा साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त सोनू ने पत्थर फेंककर मारा था और अभियुक्त सुरेंदर को अभियुक्त सेकी ने लठ दिया था परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब उसने देखा कि बलजीत पाल नीचे पड़े हुए थे। मौके पर बेहोश हो गये थे और उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल लेकर चली गयी थी। इसके अलावा उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। यह साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है इसलिए इस पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।
- वलजीतिसंह पाल (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घ टिना के समय अभियुक्तगण गुरूद्वारे के अंदर से बाहर आये। वहीं पर कमेटी की प्रधान चरणजीत, कोषाध्यक्ष उमेश एवं इंदजीतिसंह अरोरा आये। उसने तथा सभी लोगों ने अभियुक्तगण को समझाया कि विवाद मत करो तब अभियुक्त सुरेंदर कौर ने कहा कि हम गुरूद्वारे के मालिक हैं जो हमसे उलझेगा उसे तलवार से काट देंगे और कटार से उसकी बांयी आंख पर मार दिया। अभियुक्त सोनू ने पत्थर उठाकर मारा और जब उसकी पत्नी कमलजीत बीच बचाव करने के लिए आयी तब अभियुक्त परिमंदर ने लकड़ी से मारा तथा अभियुक्त सेकी ने परमजीत को लकड़ी लाकर दी थी। कमलजीत कौर (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह आवाज सुनकर गुरूद्वारे के पास आयी उसने देखा कि अभियुक्त सुरेंदर के पास कृपाण थी। कृपाण से अभियुक्त सुरेंदर ने उसके पति बलजीत को मारा। उसके बाद अभियुक्त सोनू ने पत्थर उठाकर मारा। अभियुक्त सेकी ने परिमंदर के हाथ में डंडा देकर कहा कि सबको मारो तब परिमंदर ने उसे डंडा मारने के लिए हाथ उठाया परंतु वह बच गयी।

उमेश बकसानी (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह हल्ले की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्त सेकी ने दुकान से एक मोटी लकड़ी लाकर अभियुक्त सोनू को दिया। इसी बीच अभियुक्त सुरेंदर कौर ने कटार से बलजीत पाल सिंह को बांयी आंख पर मार दिया था। इंद्रजीतसिंह (अ.सा.—8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना गुरूद्वारे के सामने की शाम 6—7 बजे की है। साक्षी ने यह बताया है कि मौके पर बलजीत, सोनू, सेकी एवं अन्य महिला भी थी जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था लेकिन उसे महिलाओं के नाम पता नहीं है। साक्षी ने यह बताया है कि वह नहीं बता सकता कि मौके पर अभियुक्त सुरेंदर कौर थी अथवा नहीं। किसने किसको मारा यह भी उसे याद नहीं है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त सुरेंदर कौर ने कृपाण निकालकर फरियादी बलजीत सिंह की आंख पर मार दिया था। यह भी सही बताया है कि अभियुक्त परिवंदर, सेकी और सोनू ने भी मारपीट की थी।

बलजीत सिंह पाल (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण से उनका कोई निजी विवाद नहीं है। इस सुझाव को सही बताया है कि मूल विवाद ज्ञानी जी की गाड़ी खड़ी करने को लेकर ही हुआ था। स्वतः में कहा कि ज्ञानी जी ईलाज के लिए पैसे मांग रहे थे और कमेटी ने ईलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। इस सुझाव को सही बताया है कि झगडे का मूल कारण गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और ज्ञानी जी का आपसी विवाद था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 09 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त परमिंदर एवं सेकी के विरूद्ध कोई रिपोर्ट लेख नहीं करायी गयी थी। स्वतः में कहा कि रिपोर्ट लेख कराते समय शायद नहीं बताया होगा। इसी पैरा में साक्षी ने यह कहा कि अभियुक्त सुरेंदर या किसी अन्य अभियुक्त को विवाद करने के बारे में कुछ नहीं समझाया न ही उनसे कुछ कहा। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 10 में साक्षी ने यह बताया है कि मौके पर उसकी पत्नी कमलजीत कौर भी उपस्थित थी, उसने बीच बचाव किया था। पैरा क. 11 में साक्षी ने यह बताया है कि उसकी पत्नी चोट लगने के बाद ही मौके पर आयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 12 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त सुरेंदर कौर को कटार पहने नहीं देखा था। विवाद के समय भी अभियुक्त के हाथ में कटार नहीं देखी थी। उसने अचानक ले आयी थी। आंख में चोट लगने के बाद अनुमान के आधार पर मैंने यह बताया था कि अभियुक्त सुरेंदर के हाथ में कटार थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 14 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त सोनू, सेकी एवं परमिंदर कौर ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

18 कमलजीत कौर (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची तो उसके पित की बांयी आंख में चोट देखी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि उसके पित ने डॉक्टर को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त सुरेंदर कौर ने उसे कटार से चोट पहुंचाई है। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त सेकी, सोनू और परमिंदर ने कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं की थी। मौके पर उसके पित बेहोश हो गये थे। वह नहीं देख पायी थी कि किसने मारपीट की

थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी एवं ज्ञानीजी का कार को लेकर, लंगर को लेकर एवं अन्य बातों को लेकर विवाद था। यदि ऐसा विवाद नहीं होता तो रिपोर्ट करने की नौबत नहीं आती।

- उमेश बकसानी (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह आवाज सुनकर मौके पर आया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा वहां विवाद चल रहा है। ज्ञानी जी और प्रबंधन कमेटी के बीच में गुरूद्वारे के सामने कार खड़ी करने की बात पर से विवाद हो रहा था परंतू प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिये जाने पर भिन्न कथन करते हुए यह बताया है कि झगड़ा होने से पहले वह मौके पर नहीं था और जब वह मौके पर पहुंचा उस समय तक वहां पर कोई भी झगडा नहीं हुआ था। घटना स्थल पर बहुत भीड लगभग 100-200 लोग थे। उसके द्वारा बीच बचाव की कोई कोशिश नहीं की गयी क्योंकि वह दूर खड़ा हुआ था परंतु इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसने दोनों पक्षों को समझाया कि छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि गुरूद्वारे में तलवार और कटार पड़ी रहती है। घटना के पहले उसने अभियुक्त सुरेंदर कौर के हाथ में कटार नहीं देखी थी। कटार लगभग चार इंच की थी और उसका मूठ चार इंच का था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के पहले उसने अभियुक्त के हाथ में कटार नहीं देखी थी जब लोग कहने लगे कि कटार मारा उस समय कटार देखा था। मौके पर उपस्थित 100-200 लोगों में से किसी ने भी अभियुक्त सुरेंदर कौर को नहीं रोका। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बतायां है कि किसी अन्य अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की थी।
- 20 इंदजीत (अ.सा.—8) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि उसे अस्पताल में फरियादी बलजीत ने बताया था कि उसकी आंख में चोट लगी है। जब वह मौके पर पहुंचा था तब झगड़ा समाप्त हो चुका था और लोग फरियादी बलजीत को अस्पताल लेकर आ गये थे परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने स्वतः में यह बताया है कि चोट उसके सामने ही लगी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने करीबन एक फिट की कटार देखी थी। कटार का कव्हर भी देखा था। कटार तलवार जैसी थी। साक्षी ने प्रश्न किये जाने पर कि कटार किसके हाथ में देखी थी तो साक्षी मौन रहता है और तत्पश्चात साक्षी यह कहना है कि उसे सोचने का समय दिया जाये। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने कटार अभियुक्त सेकी के हाथ में देखी थी और अभियुक्त सेकी के कटार से मारते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी से यह पूछे जाने पर कि फरियादी बलजीत को आंख पर चोट किसने पहुंचाई थी तो साक्षी ने यह उत्तर दिया कि अभियुक्त सोनू, सेकी एवं एक लेडिस ने चोट पहुंचाई थी।

- बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी के रूप में स्वयं अभियुक्त सुरेंदर कौर (ब.सा.—1) एवं अन्य बचाव साक्षी कवलजीत (ब.सा.—2) एवं लिखीराम साहू (ब. सा.—3) को परीक्षित कराया गया है। सुरेंदर कौर (ब.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके पित ज्ञानी किडनी एवं अन्य बीमारियों की वजह से अत्यन्त बीमार रहते थे। उसके पित ज्ञानीजी को गुरूद्वारे में पूजा करने के रूप में जो सहयोग राशि प्राप्त होती थी उसी से परिवार का पालन पोषण होता था। जब उसके पित बहुत ज्यादा बीमार हुए तब ईलाज के लिए 10—15 हजार रूपये कमेटी से मांगे। इसी बात को लेकर घटना दिनांक को उसके पित एवं कमेटी के अध्यक्ष नीटू अरोरा एवं फरियादी बलजीत के बीच में विवाद हो रहा था। आवाज सुनकर वह नीचे आयी थी। उसके द्वारा बलजीत पाल को कटार से नहीं मारा गया था और न ही उनसे कोई बातचीत या विवाद हुआ था। केवल अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। उसके पित के बीमार हो जाने के कारण गुरूद्वारा कमेटी के अध्यक्ष एवं बलजीतपाल एवं अन्य लोग उसके पित को ग्रंथी के पद से हटाना चाहते थे और उन्हें निकलने के लिए भी कहा था।
- 22 कवलजीत (ब.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे गुरूद्वारा के अंदर से जोर—जोर से चिल्लाने की आवाज आयी जब वह मौके पर पहुंचा तो ज्ञानी जी गिरे हुए थे तथा गुरूद्वारा के अध्यक्ष और ज्ञानीजी के बीच ईलाज के पैसे के लिए विवाद चल रहा था। इसके अलावा भी प्रबंधन कमेटी और ज्ञानीजी के बीच पूर्व से धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर विवाद चल रहा था। हम लोगों ने ज्ञानीजी की मदद की थी इसलिए फरियादी ने मेरे लड़के के विरूद्ध भी रिपोर्ट लेख करा दी जबिक किसी भी अभियुक्त ने बलजीतिसिंह के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। लिखीराम साहू (ब.सा.—3) मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह आवाज सुनकर गुरूद्वारे के अंदर पहुंचा था। बहुत सारे लोग आवाज सुनकर मौके पर आगये थे। विगत दो—तीन माह से प्रबंधन कमेटी एवं ज्ञानीजी के बीच ईलाज के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। अभियुक्त सोनू, सेकी, सुरेंदर और परिमंदर ने कोई मारपीट नहीं की थी। दोनों पक्षों का समझाईश देकर विवाद खत्म कर दिया गया था।
- 23 सुरेंदर कौर (ब.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके पित ज्ञानी एवं फिरियादी बलजीत के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके द्वारा बलजीत के साथ कटार से मारपीट की गयी थी। कवलजीत (ब.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो अभियुक्तगण एवं फिरियादी का पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने फिरियादी के साथ मारपीट की थी। लिखीराम साहू (ब.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मौके पर 150—200 लोग इकट्ठे थे। जब वह मौके पर पहुंचा तब ईलाज के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। उसने किसी को भी बलजीतिसंह को मारते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार बचाव साक्षियों के कथनों से इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि घटना दिनांक को दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था।

- फरियादी बलजीत सिंह पाल (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में बीच 24 बचाव अपनी पत्नी कमलजीत कौर (अ.सा.—2) के द्वारा करना बताया है और उसे भी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किया जाना बताया है परंतु स्वयं फरियादी बलजीत ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त सुरेंदर कौर के अतिरिक्त किसी भी अन्य अभियुक्त ने लंडाई झगडा मारपीट नहीं किया था। कमलजीत कौर (अ.सा.–2) ने मुख्य परीक्षण में घटना अपने समक्ष होना बताते हुए अभियुक्त सुरेंदर कौर एवं अन्य अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने ६ ाटना के बाद मौके पर पहुंचना बताया है और मारपीट किसके द्वारा की गयी इस बात की जानकारी न होना बताया है। उमेश बकसानी (अ.सा.–4) ने मुख्य परीक्षण में सभी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करना बताया है परंतू प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त सुरेंदर कौर के अतिरिक्त किसी अन्य अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट न करना बताया है। इंद्रजीत (अ.सा.–8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे याद नहीं है कि किसने किसको मारा था और अभियुक्त सुरेंदर कौर मौके पर थी या नहीं परंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने सभी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने फरियादी बलजीत की आंख पर अभियुक्त सोन्, सेकी एवं एक अन्य महिला के द्वारा चोट पहुंचाया जाना बताया है एवं अभियुक्त सेकी को कटार से मारते हुए देखा जाना बताया है।
- अभियोजन साक्षीगण बलजीत सिंह पाल (अ.सा.–1), कमलजीत कौर (अ.सा.-2), उमेश बकसानी (अ.सा.-4) एवं इंदजीत (अ.सा.-8) के न्यायालयीन कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साथ ही साक्षीगण अपने कथनों पर भी स्थिर नहीं है। किसी भी साक्षी ने घटना कारित किये जाने के पूर्व अभियुक्त सुरेंदर कौर के हाथ में कटार न देखा जाना बताया है। फरियादी बलजीत ने यह बताया है कि जब उसे चोट लग गयी थी तब उसने हथेलीनुमा कटार देखा था। साक्षी उमेश बकसानी ने यह बताया है कि उसने घटना के बाद लगभग चार इंच लंबी कटार देखी थी। साक्षी इंदजीत (अ.सा.-8) ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त सेकी के हाथ में करीबन एक फिट की कटार देखी थी। साक्षी इंदजीत ने अभियुक्त सेकी के द्वारा फरियादी को कटार से मारा जाना बताया है। जबकि यह साक्षी महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी है। साथ ही साक्षी उमेश बकसानी जो कि चक्षुदर्शी साक्षी है, इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अत्यन्त विरोधाभासी कथन किये हैं। अपने कथनों पर साक्षी बिलकुल भी स्थिर नहीं है। पहले साक्षी ने यह बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा तब उसने देखा कि ज्ञानीजी और प्रबंधन कमेटी के बीच विवाद चल रहा था। तत्पश्चात साक्षी ने यह बताया है कि वह झगड़ा होने के बाद मौके पर पहुंचा, उसे नहीं पता किस बात का विवाद हुआ था। तत्पश्चात पुनः से साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त सुरेंदर को कटार से मारते हुए देखा था परंतु बीच बचाव किसी ने भी नहीं किया था। अन्य अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने से इस साक्षी ने इनकार किया है जबकि मुख्य परीक्षण में सभी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किया जाना बताया है। स्वयं फरियादी की पत्नी कमलजीत ने अपने समक्ष घटना घटित होने से इनकार किया है तथा किस अभियुक्तगण के द्वारा उसके पति के साथ मारपीट की गयी इस बात की भी जानकारी न होना बताया है। जबकि फरियादी बलजीत सिंह

पाल (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में उसकी पत्नी कमलजीत द्वारा बीच बचाव करना बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि अभियुक्त परमिंदर ने उसकी पत्नी को लकड़ी से मारा था।

26 साक्षीगण बलजीत सिंह पाल (अ.सा.—1), कमलजीत कौर (अ.सा.—2), उमेश बकसानी (अ.सा.—4) एवं इंदजीत (अ.सा.—8) के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है जो कि उनकी विश्वसनीयता को खंडित कर देता है। स्वयं फरियादी बलजीत सिंह पाल अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। समस्त अभियोजन साक्षियों ने यह बताया है कि मौके पर जब विवाद हो रहा था तब लगभग 50—100 लोग मौके पर उपस्थित थे। इतनी अधिक भीड़ होने के बाद भी एक महिला के द्वारा कटार से फरियादी के शरीर के अन्य भाग पर प्रहार न करते हुए सीधे चेहरे पर प्रहार किया जाना थोड़ा अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण में कथित कटार जिससे कि फरियादी बलजीत सिंह पाल को चोट कारित किया जाना बताया जा रहा है वह भी जप्त नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

27 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप सूचनाकर्ता बलजीत पाल को अश्लील शब्द मां बहन की गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया एवं सूचनाकर्ता बलजीत सिंह की उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में कृपाण जो कि धारदार शस्त्र है, से बलजीतिसंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सूचनाकर्ता बलजीतिसंह की स्वेच्छया उपहित कारित की तथा सूचनाकर्ता बलजीतिसंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण सोनू सेकी, सुरेंदर एवं परमिंदर कौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 324/34, 323/34 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

28 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

29 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)